भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *252

जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

कोल बेड मीथेन की खोज

***252. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्तर पर कोयले के पांचवें सबसे बड़े भंडार के साथ, भारत के पास बारह से अधिक राज्यों में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) की खोज और उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में कोल बेड मीथेन का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कोल बेड मीथेन नीति, 1997 के 2018 ढांचे के अंतर्गत अपरम्परागत हाइड्रोकार्बनों की खोज और विकास की शुरुआत के बाद उद्योग का भविष्य क्या होगा?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

“कोल बेड मीथेन की खोज" के संबंध में श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 17.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *252 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क) : विश्व में पांचवें सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडार के साथ भारत कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। देश के भावी सीबीएम संसाधनों का अनुमान लगभग 92 टीसीएफ (ट्रिलियन क्यूबिक फीट) है और ये संसाधन भारत के 12 राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) में फैले हुए हैं। वर्तमान में, पूरे भारत में सीबीएम के निष्कर्षण के लिए पंद्रह (15) सीबीएम ब्लॉक सक्रिय हैं।

(ख) सरकार ने सीबीएम सहित अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन स्रोतो को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. नीतिगत सुधार: सीबीएम विकास को बढ़ावा देने के लिए सीबीएम नीति, 1997 प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत कोयला मंत्रालय (एमओसी) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के बीच संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नीति के अनुसार, एमओपीएनजी प्रशासनिक मंत्रालय बन गया और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। कोयला मंत्रालय के परामर्श से सीबीएम ब्लॉकों को चिन्हित किया गया और उन्हें कोयला धारक क्षेत्रों में पेश किया गया था।

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने मौजूदा उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) अनुबंधों और नामांकन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित रकबे में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए एक नीतिगत ढांचे को अधिसूचित किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारक क्षेत्रों, जिनके लिए उनके पास कोयले का खनन पट्टा है, हेतु अन्वेषण और दोहन अधिकार देने के लिए समेकित नियम और शर्तों को अधिसूचित किया।

2. सीबीएम बोली दौर: सरकार ने अब तक छह प्रतिस्पर्धी सीबीएम बोली दौर आयोजित किए हैं, जिसमें 40 ब्लॉक प्रदान किए गए थे। अब तक, 15 सीबीएम ब्लॉक अन्वेषण, विकास या उत्पादन चरणों के तहत सक्रिय हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के दायरे के अंतर्गत विशेष सीबीएम बोली दौर (एससीबीएम)-2025 प्रारंभ किया। 520 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को कवर करते हुए एससीबीएम-2025 तीन सीबीएम ब्लॉक पेश करता है।

3. अवसंरचना को मजबूत करना: सीबीएम ब्लॉकों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड (ऊर्जा गंगा पाइपलाइन) से जोड़ा जा रहा है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में सीबीएम गैस के निर्बाध परिवहन को सक्षम करके लंबे समय से चले आ रहे ऑफटेक संबंधी मुद्दों का समाधान किया है।

इन प्रयासों के साथ, सीबीएम विकास के लिए सीबीएम ब्लॉकों में लगभग 1,210 कुएं खोदे गए हैं, और देश वर्तमान में लगभग 2.27 एमएमएससीएमडी का सीबीएम उत्पादन स्तर प्राप्त कर रहा है।

(ग): वर्ष 2018 में "अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क" की शुरूआत ने प्रचालकों को अपने सीबीएम लीजहोल्ड क्षेत्रों के भीतर शेल गैस का पता लगाने और निकालने की अनुमति देकर मौजूदा सीबीएम अनुबंधों के तहत अनुमेय गतिविधियों के दायरे का विस्तार किया है। इस नीतिगत सुधार से अतिरिक्त अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विकास सुविधाजनक होने से इस उद्योग की भावी संभावनाओं के मजबूत होने की अपेक्षा है।

भारत सरकार सीबीएम रकबे को और बढ़ाने के लिए अन्वेषण अभियान चलाकर अन्वेषण न किए गए कोयला धारक क्षेत्रों में सीबीएम संसाधन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार परित्यक्त या कोयला रहित खानों, जो कोयला खनन के लिए संभवत: उपयुक्त न हों, में सीबीएम उत्पादन की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां सीबीएम अन्वेषण और उत्पादन हेतु आवंटन के लिए अपने लीजहोल्ड के तहत कोयला धारक क्षेत्रों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही हैं। भारत सरकार की नीति, 2018 के अनुसार, जिसमें सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को उनके लीजहोल्ड क्षेत्रों में सीबीएम अधिकार प्रदान किए गए थे, सीआईएल की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने सीबीएम अन्वेषण और उत्पादन के लिए झरिया में एक सीबीएम ब्लॉक (क्षेत्र-24 वर्ग किमी) प्रदान किया है।

****